

// कार्यालय आदेश //

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी झुन्झुनू के पत्र क्रमांक: 08 दिनांक 03.01.2025 से प्राप्त प्रस्तावानुसार, राज्य सरकार से प्राप्त निर्देशानुसार सूरजमल बहादुरमल राजकीय चिकित्सालय बबाई जिला झुन्झुनू दानदाता प्रार्थीगण श्री राजेश कुमार चौधरी एवं पीयूष कुमार चौधरी हाल कोलकत्ता (वेस्ट बंगाल) के द्वारा ग्राम बबाई तहसील खेतडी जिला झुन्झुनू राजस्थान में स्थित भूमि जिसका कुल क्षेत्रफल 15105.50 वर्गगज को निःशुल्क उपहार स्वरूप देने एवं राज्य सरकार की स्वीकृति संख्या 12/2021-22 दिनांक 22.06.2021 के द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बबाई पंचायत समिति खेतडी जिला झुन्झुनू के परिसर में दानदाता श्री अमित कुमार चौधरी, प्लॉट नम्बर बी-503 नगर रेजीडेन्सी, गुरुनानक पथ मालवीय नगर जयपुर द्वारा नवीन भवन (ब्लॉक) निर्माण करवाकर नामकरण "मूरलीधर प्रकाश कुमार चौधरी भवन (ब्लॉक) रखे जाने की शर्तों के अध्याधीन एतद्वारा स्वीकृति जारी की गई थी तथा सम्पूर्ण भूमि (कुल क्षेत्रफल 15105.50 वर्गगज) का पंजीयन नियमानुसार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के पक्ष में करवाने के निम्नांकित शर्तों के अध्याधीन एतद्वारा आदेश जारी किये जाते हैं:-

1. प्रथमपक्ष/उपहारकर्तागण श्री राजेश कुमार चौधरी एवं श्री पीयूष कुमार चौधरी के द्वारा पंजीयन/दानग्रहण हेतु प्रस्तावित भूमि 15105.50 वर्गगज के अन्य कोई वारिस/मालिकाना हकदार नहीं है। स्टाम्प पेपर पर नोटेरी पब्लिक से सत्यापित अनुसार नियमानुसार कार्यवाही कर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के पक्ष में कर निदेशालय को अवगत करावें।
2. उपहारकर्तागण ही दानदाता सेठ सूरजमल बहादुरमल चौधरी के वंशज/वारिसगण है, का सत्यापन किये जाने के उपरान्त ही दानग्रहण हेतु प्रस्तावित ड्राफ्ट का विधिक परीक्षक (न्यायिक विवाद उत्पन्न न हो) उपरान्त ही नियमानुसार कार्यवाही कर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के पक्ष में कर निदेशालय को अवगत करावें।
3. सूरजमल बहादुरमल राजकीय चिकित्सालय बबाई जिला झुन्झुनू दानदाता प्रार्थीगण श्री राजेश कुमार चौधरी एवं पीयूष कुमार चौधरी हाल कोलकत्ता (वेस्ट बंगाल) के द्वारा ग्राम बबाई तहसील खेतडी जिला झुन्झुनू राजस्थान में स्थित भूमि जिसका कुल क्षेत्रफल 15105.50 वर्गगज को निःशुल्क उपहार स्वरूप चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के पक्ष में नियमानुसार भूमि का लगने वाले पंजीयन शुल्क अथवा निशुल्क की कार्यवाही कर निदेशालय को अवगत करावें।

निदेशक (जन.स्वास्थ्य)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान जयपुर

दिनांक: 10/1/25

क्रमांक: एफ-279/ई-03947/बबाई/योजना/विकास/2025/12

प्रतिलिपी:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, मंत्री, चिकि० एवं स्वा० विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें (ईएसआई) राज० सरकार, जयपुर
2. निजि सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प० क० विभाग, राज० जयपुर
3. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, राज०, जयपुर
4. श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, झुन्झुनू
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुन्झुनू को को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उक्त कार्यवाही तीन दिवस में कर अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें।
6. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सी०एच०सी०, बबाई जिला झुन्झुनू
7. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि इस आदेश को विभागीय वेब साईट पर अपलोड करवाने का श्रम करावें।

निदेशक (जन.स्वास्थ्य)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान जयपुर

Document certified by RAVI PRAKASH  
MATHUR <rpm272004@yahoo.co.in>

Digitally Signed by RAVI  
PARKASH MATHUR  
Designation: Director  
Date :09-01-2025 04:45:33